भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4732
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मास्यूटिकल उद्योग सशक्तिकरण योजना

4732. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई "फार्मास्यूटिकल उद्योग सशक्तिकरण" की योजना का ब्यौरा क्या है, इसके उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) देशभर में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा विभिन्न दवा कम्पनियों और संस्थाओं को अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) जेनेरिक दवाओं और सस्ती दवाओं को बढ़ावा देने सहित दवाओं की घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) इस योजना का देश में फार्मास्यूटिकल उद्योग की वृद्धि और आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा टीकों और जैविक औषधियों सहित उच्च तकनीक वाली औषधियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध उद्योग का सशक्तिकरण योजना के उद्देश्यों के साथ उसके घटकों का विवरण, इस प्रकार हैं:

(i) *साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग (एपीआईसीएफ) को सहायता* : साझा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए औषध क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करना;

(ii) *पुनर्निर्मित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूए)* : 500 करोड़ रुपये से कम औसत कारोबार वाली छोटी और मध्यम औषध कंपनियों की उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन का सहयोग करना, ताकि औषधि नियम, 1945 की संशोधित अनुसूची ड और विश्व स्वास्थ्य संगठन - उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) में विनिर्दिष्ट मानकों को प्राप्त किया जा सके; तथा

(iii) *औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)* : इसका उद्देश्य औषध उद्योग में और के बारे में ज्ञान और जागरूकता का संवर्धन करना है, इसके लिए अध्ययन करना, डाटाबेस तैयार करना और औषध उद्योग में ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए कार्यक्रम प्रायोजित करना है।

(ख): योजना के लिए आबंटित निधि और अब तक संवितरित राशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) से (ड): जेनेरिक औषधियों और वहनीय दवाओं के संवर्धन सहित दवाओं की घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए औषधीय क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और दवाओं के प्रभाव सहित उच्च तकनीक दवाओं के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों और उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) औषध उद्योग का सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, औषध क्लस्टरों को 121.47 करोड़ रूपए की कुल अनुदान सहायता के साथ साझा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए दिनांक 25.3.2025 तक 94.91 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, औषधि नियम, 1945 और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी की संशोधित अनुसूची-ड में विनिर्दिष्ट मानकों को प्राप्त करने के लिए उन्नयन हेतु 103 छोटी और मध्यम औषध कंपनियों के लिए सहायता को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके लिए दिनांक 25.03.2025 तक कुल स्वीकृत राशि 105.01 करोड़ रूपए है।

(ii) भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ("बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना") शुरू

की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पेनिसिलिन जी, क्लैवुलेनिक एसिड, प्रेडनिसोलोन, ओल्मेसार्टन, सल्फाडियाज़िन, एटोरवास्टाटिन, कार्बामाज़ेपाइन आदि सहित 25 बल्क औषधि के लिए 34 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 3,938.57 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में, इस योजना के अंतर्गत 4,253.92 करोड़ रुपये के निवेश किया गया है। दिसंबर 2024 तक, योजना के अंतर्गत आवेदकों ने 412.42 करोड़ रूपए के निर्यात सहित 1,556.04 करोड़ रूपए की संचयी बिक्री की है।

(iii) औषध के लिए पीएलआई योजना को बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना के तहत अधिसूचित फॉर्मूलेशन और बल्क औषधि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, तीन उत्पाद श्रेणियों के तहत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। दिसंबर 2024 तक, इस योजना के अंतर्गत 2,34,569.27 करोड़ रूपए की संचयी बिक्री की गई है, जिसमें 1,49,420 करोड़ रूपए का निर्यात शामिल है।

(iv) ऑप्टिमाइज्ड लागत पर बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए साझी बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भरूच (गुजरात), नक्कापल्ली (आंध्र प्रदेश) और ऊना (हिमाचल प्रदेश) जिलों में एक-एक बल्क औषधि पार्क के विकास के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार ने उक्त पार्कों में से प्रत्येक के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है। पार्कों का विकास विभिन्न चरणों में हैं।

(v) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत, 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो बाजार में प्रमुख ब्रांडेड दवाओं के एमआरपी से लगभग 50% से 80% कम हैं। पिछले 10 वर्षों में, एमआरपी के संदर्भ में 6,975 करोड़ रुपए की दवाइयों की जेएके के माध्यम से बिक्री की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

(vi) छह चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को संवर्धित और प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि में 5,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के संवर्धन के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें नई औषधियों का विकास, सटीक दवा,

जटिल जेनेरिक्स, बायोसिमिलर, माइक्रोबियल-रोधी रेजिस्टेंस औषधि आदि शामिल हैं। औषध अनुसंधान के चिन्हित मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के संवर्धन के लिए फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन योजना के अंतर्गत नाईपर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, औषध के लिए पीएलआई योजना उच्च तकनीक दवाओं के अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण और बिक्री में निवेश को भी प्रोत्साहित करती है।

अनुलग्नक

औषधीय उद्योग के लिए संवर्धन योजना के संबंध में श्री मलैयारासन डी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 28.3.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4732 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण

योजना के लिए आवंटित धनराशि और अब तक वितरित राशि का विवरण

क्रम संख्या	**उप-योजना**	**आबंटित धनराशी (करोड़ रूपए में)**	**वितरित राशि (करोड़ रूपए में)**
1	साझा सुविधाओं के लिए औषधीय उद्योग को सहायता	178.40	94.91
2	पुनर्निर्मित औषधीय प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना	300.10	—
3	औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना	21.5	6.78
कुल		**500**	**101.69**

*****